न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 26/2015/अपील

छोटी देवी पुत्री स्व0 सुखाराम जाति जाट निवासी पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी ढ़ाणी बारावाली तन पदेवा तहसील खेतड़ी जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1/1 दुर्गा देवी बेवा पालाराम
1/2 धन्शीराम पुत्र पालाराम
1/3 रामनिवास पुत्र पालाराम
1/4 रामस्वरूप पुत्र पालाराम
} समस्त जाति जाट निवासीगण पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

1/5 भागोती देवी पुत्री पालाराम
1/6 शारदा देवी पुत्री पालाराम
} समस्त जाति जाट निवासीगण पुरानाबास हाल निवासीनि ढ़ाणी सांवली (रोहिलाणों का बास) तन दलेलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू

2 जगदीश दत्तक पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

3 किताब देवी पत्नी स्व0 धर्मपाल पुत्रवधु श्रवणी देवी

4 रामावतार पुत्र धर्मपाल पौत्र श्रवणी देवी

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बारावाली तन पदेवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू

5 तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 18.10.1977 ग्राम पुरानाबास द्वारा न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री मोहनसिंह मूण्ड
वकील रेस्पोडेंट श्री शिवकुमार

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय **दिनांकः—29.07.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.33 है0, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.04 है0, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.61 है0, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.84 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.18 है0 तथा खसरा नम्बर 443 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 444 रकबा 0.74 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 है0 ग्राम पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की तन में अवस्थित है, जिसकी खातेदारी अपीलान्ट के पिता सुखाराम पुत्र चन्द्रा के नाम से राजस्व रिकार्ड अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। इन कृषि भूमियों पर अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने पर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज चले आ रहे है। अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 का सजरा खानदान इस प्रकार हैः—

चन्द्रा उर्फ भगता

सुखा / टीकू

सुखा →
- बरजी देवी बेवा (फोत)
- श्रवणी देवी पुत्री (फोत)
  - धर्मपाल पुत्र (फौत)
    - किताब देवी पत्नी रेस्पो संख्या 03
    - रामावतार पुत्र रेस्पो. सं. 04
- पालाराम रे.सं. 01
- छोटी दवी पुत्री अपीलान्ट
- जगदीश पुत्र रे.सं. 02 (गोद गया टीकू के)

टीकू →
- जगदीश (गोद आया

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

इस प्रकार सुखा के दो पुत्र सन्तान व दो पुत्रियां पैदा हुई, जिनमें से जगदीश अपने छोटे भाई टीकू के गोद चला गया। बरजी देवी फौत हो चुकी है। सुखाराम की सम्पति में केवल अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 का हक अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा सुखा की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 18.10.77 को केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 84 को भरते समय सुखा के वारिसान को अनदेखा करके केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण भरा गया है राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी टीकू सुखा पुत्र चन्दा के नाम दर्ज थी, जिसमें टीकू के कोई पुत्र सन्तान नहीं होने पर रेस्पोडेंट संख्या 2 जगदीश को गोद ले लिया जो टीकू की सम्पति पर बहैसियत काबिज है। अपीलान्ट एक अशिक्षित ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला है तथा मौके पर काबिज रहकर काश्त करने को ही राजस्व अभिलेख में अपने नाम खातेदारी दर्ज होना मानती है। विवादग्रस्त भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है, जिसके अनुसार पिता की सम्पति में पुत्रियों का भी बराबर हक हिस्सा होता है विवादग्रस्त भूमियों में पिता सुखा की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अलावा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की माता श्रवणी देवी के नाम भी बराबर–बराबर हक हिस्सा दर्ज करना चाहिये था जो दर्ज नहीं करके केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने में भारी कानूनी गलती की है, इस कारण चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 18.10.77 ग्राम पुरानाबास को निरस्त किया जाकर अपीलांट को भी उसका पैतृक हक, अधिकार व कब्जे, काश्त अनुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार सुखा की मृत्यु होने पर विरासत से मृतक के वारिसान जगदीश पालाराम पुत्र सुखा के नाम दिनांक 18.10.77 को तस्दीक किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित सजरा अनुसार मृतक खातेदार सुखा के निम्न वारिस होना अंकित किया है– बरजी देवी पत्नी सुखा, श्रवणीदेवी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

छोटीदेवी पुत्रीया सुखा व पालाराम जगदीश पुत्रगण सुखा जिनमें से बरजीदेवी पत्नी सुखा व श्रवणीदेवी पुत्री सुखा फौत होना अंकित किया गया है एवं जगदीश पुत्र सुखा जो कि टीकू (रेस्पो. संख्या 2) के गोद जाना अंकित किया गया है। अपीलांट छोटी देवी मृतक खातेदार सुखा की पुत्री होना अंकित करते हुए चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 84 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण के विरूद्व सुखा की मृतक पत्नी व पुत्री क्रमशः बरजीदेवी व श्रवणीदेवी के द्वारा व श्रवणीदेवी के वारिसान द्वारा अपने हक हिस्से बाबत किसी प्रकार की कार्यवाही करने के सम्बंध में ना तो अपील मेंमो में किसी प्रकार का तथ्य अंकित किया है एवं ना ही पत्रावली पर किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध है। जगदीश पुत्र सुखा जो कि टीकू के गोद जाना अंकित किया गया है। मृतक खातेदार सुखा की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय जगदीश का हिस्सा भी अंकित किया हुआ है। जगदीश गोद जाने के उपरांत उनके हक हिस्से बाबत किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण सन् 1977 में तस्दीक किया हुआ है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन नामान्तकरण की अपील लगभग 37 वर्ष पश्चात् करने के सम्बंध में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट के क्या हित निहित है, इस सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट मृतक खातेदार सुखा की पुत्री होने के सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा केवल मात्र कथन किया है, बल्कि इस सम्बंध में पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि अपीलांट स्व0 सुखा की पुत्री है। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों और चाहे गये अनुतोष की पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। अपील मेंमो में अंकित तथ्यों के मुताबिक मृतक खातेदार सुखा की पैतृक आराजियात में से मृतक पुत्री श्रवणीदेवी के वारिसान का हक हिस्सा एवं पुत्र जगदीश जो कि टीकू के गोद चले जाने पर उनके हक हिस्से का निस्तारण केवल मात्र अपील के माध्यम से तय किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट को विवादग्रस्त आराजियात में अपने हक अधिकारों हेतु चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण के विरूद्व लगभग 37 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत करने की बजाय सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में विवाद का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर व्याख्या करके ही किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 18.10.77 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

29/7/19

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official